प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु अगस्त्यमुनि–सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिर्जव कक्ष संख्या–01 में चयनित 0.90 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....सौड भट्ट गांव..
तहसील–रूद्रप्रयाग, जिला–रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना के निर्माण हेतु (0.90 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि का नगर पंचायत अगस्तयुनि (रूद्रप्रयाग) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत सौड भट्ट गांव.................. द्वारा दिनांक 13/07/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...सौड भट्ट गांव...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ...नगर पंचायत...अगस्त्यमुनि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
सौड भट्ट गांव
ग्राम सचिव
वि0 ख0 अगस्त्यमुनि

प्रधान ग्राम पंचायत सौड (भट्ट गांव)
ह0
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/07/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत–सौड भट्ट गांव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	आनन्द लाल	आनन्द [illegible]
2-	श्रीमती मीना देवी	मीना देवी
3	अतुल लाल	[illegible]
4-	संजय लाल	[illegible]
5-	भारत लाल	भारत लाल
6-	राम लाल	राम लाल
7.	धरमवन्त सिंह	[illegible]
8.	मनोज सिंह	[illegible]
9	आशा	Bhupesh
10	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
11	पूर्ण सिंह	[illegible]
12	हिमम्बर सिंह	पूर्ण सिंह
13	सन्दीप सिंह	[illegible]

ह0
ग्राम प्रधान
सौड भट्ट गांव

(मुहर: ग्राम पंचायत सौड़ भट्ट...)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु अगस्त्यमुनि–सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिर्जव कक्ष संख्या–01 में चयनित 0.90 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,..अगस्त्यमुनि.......

उपखण्ड ..अगस्त्यमुनि..............परिक्षेत्र **के अन्तर्गत** अगस्त्यमुनि रिर्जव कक्ष संख्या-1 (0.90 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन ~~पंचायत~~ भूमि, अर्थात कुल 0.90 है0 वन भूमि) का नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक ..28/07/2022..को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री....अपर्णा ढौंडियाल......, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ....अपर्णा ढौंडियाल....उपजिलाधिकारी ....उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग....अध्यक्ष

2– श्री ....यशवंत सिंह चौहान....वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि ~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~....वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि....सदस्य

3– श्री ....धीरज बुटोला....सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड ....) ....अगस्त्यमुनि....सदस्य / सचिव

4– श्रीमति ....पुष्पा रावत....बी0डी0सी0 क्षेत्र ..तल्ला..........(पुष्पा रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य)....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना हेतु 0.90 हे0 वन भूमि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...रूद्रप्रयाग....................द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ..अगस्त्यमुनि.. परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि नगर पंचायत अगस्त्युनि (रूद्रप्रयाग) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति
तहसील–.रूद्रप्रयाग
जनपद–रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति
तहसील–.रूद्रप्रयाग
जनपद–रूद्रप्रयाग

It is further certified that – Minutes of meetings for Development of solid waste management land for Nagar Panchayat Augustmuni near Augustmuni -Syed Bhatt Gaon road in Augustmuni reserve forest in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 0.90 Hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes. Copy of records attached as there are no habitats belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed.	Yes. Copy of records attached as there are no habitats belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agricultural Communities.	Yes. Copy of records attached as there are no habitats belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.

District Social Welfare Officer
Rudraprayag
जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Divisional Forest Officer
Rudraprayag Forest Divison

Member,
District Panchayat
सदस्य जिला पंचायत
वार्ड नं0 14
जनपद-रुद्रप्रयाग

District Collector (Rudraprayag)
जिला अधिकारी

Annexure-I
Form-I
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No.11........ **Dated.**08/09/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to the diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2003 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 0.90 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Augustmuni, District- Rudraprayag for the Construction of Solid Waste management project of Nagar Panchayat Augustmuni, in Rudraprayag District falls within jurisdiction of Soud Bhatt Goan village in Rudraprayag Tehsil.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.90 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Diversion Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

Annexure-II
Form-II
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No.11...

Dated...08/09/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF). Government of India's letter No. 119/95-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (' FRA'' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.90 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Augustmuni, Rudraprayag District falls within jurisdiction of Saud Bhatt Goan village in Rudraprayag Tehsil.
It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.90 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) Each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative **measures, if** any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Saud Bhatt Gaon village(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.2.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have been given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA:

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT-RUDRAPRAYAG(U.K.)

Proceedings of the meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mayur Dikshit I.A.S. deputy commissioner, Rudraprayag on dated 08/09/2022 at time 03:30 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in 900.00 sq. Meter/area measuring 0.90 hectares for the Construction of solid waste management project of Nagar Panchayat Augustmuni. Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Augustmuni (Soud Bhatt Goan village) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Rudraprayag
Dated-8/9/2022

Deputy commissioner
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु अगस्त्यमुनि–सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिर्जव कक्ष संख्या–01 में चयनित 0.90 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजना नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अगस्त्यमुनि तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग